न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 133/2022
जीसीएमएस नम्बर : 2022/331

प्रार्थी:—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
सुदर्शन सौलंकी पुत्र हीरालाल सौलंकी जाति मेवाड़ा (कलाल) निवासी 26, गजानन्द मार्ग, पाली (राज.)		1. रतनलाल पुत्र मुन्नीलाल, जाति मेवाड़ा निवासी जवाली तहसील रानी जिला पाली 2. ग्राम पंचायत जवाली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत जवाली तहसील रानी पंचायत समिति रानी जिला पाली (राज.)

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवण सिंह चौहान।

—: निर्णय :—

दिनांक : 19/05/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत जवाली द्वारा मिसल संख्या 11/2002—03, प्रस्ताव/संकल्प संख्या 3(33) दिनांक 05.09.2003 द्वारा अप्रार्थी रतनलाल पुत्र मुन्नीलाल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 6174 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। प्रकरण में अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने लिखित बहस पेश की तथा उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी भूमि का ग्राम पंचायत ने पूर्व में मिसल संख्या 3/1984—85 दिनांक 24.07.1984 के द्वारा सोहनलाल पुत्र मुन्नीलाल कलाल के पक्ष में जारी हो रखा है और ग्राम पंचायत ने पुनः उसी भूमि का जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत आवेदन में अप्रार्थी ने सोहनलाल पुत्र मुन्नीलाल स्व. हापूलाल के गोद चले गये परन्तु उनके द्वारा गोद लिये जाने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र में अंकित किया कि मुन्नीलाल ने अप्रार्थी की बाल्यकाल में ग्राम पंचायत जवाली से पट्टा संख्या 3 मिसल संख्या 8 दिनांक 30.8.1957 बनाया हुआ है। ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी भूमि पुश्तैनी होने के उपरान्त सभी वारिशानों को सुने बिना जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया, जिसके सम्बन्ध में ग्राम पंचायत ने न तो भूमि का निरीक्षण किया, न ही आपत्ति नोटिस जारी किया। उक्त

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

पट्टे के सम्बन्ध में सम्पूर्ण कार्यवाही नियम 150-52 के तहत की जबकि पट्टा अन्य नियमों के तहत जारी किया गया। जैर निगरानी आराजी प्रार्थी के दादा की है इसलिये वह हस्तगत प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) RLW(RJ) 1091 Dhrampal Singh vs Additional District Collector, RLW 1993(3) page 1478 Narayanlal vs State, 2006(1) DNJ page 377 Sumer singh vs State of Rajasthan पेश कर जैर निगरानी पट्टे को खारिज करने का निवेदन किया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी लिखित बहस एवं वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी का कोई लोकस्टेन्डाई नहीं है क्योंकि वह हितबद्ध पक्षकार नहीं है। जैर निगरानी पट्टा वर्ष 05.09.2003 का है और जैर निगरानी 20 वर्ष बाद प्रस्तुत की गयी है, और देरीना का कोई कारण भी नहीं बताया है। अधिवक्ता प्रार्थी ने ग्राम पंचायत को जैर निगरानी में पक्षकार बनाया परन्तु ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाने से पहले 2 माह का नोटिस पंचायत की धारा 109 के तहत पेश नहीं किया। प्रार्थी ने ऐसे कोई दस्तावेज पेश नहीं किये जिससे यह साबित होता है कि यह मकान प्रार्थी का हो। सोहनलाल, हापुलालजी का गोदी पुत्र है, जो कि ग्राम पंचायत जवाली की मिसल संख्या 11/2002-03 में लगे हुये हीरालाल व उसकी माताजी सुखीया का सहमति पत्र दिनांक 10.08.2003 से साबित है। साथ ही अप्रार्थी को उक्त मकान आपसी बंटवाडे से प्राप्त हुआ है जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी के पिता हीरालाल सौलकी का सहमति पत्र दिनांक 10.08.2003 भी मिसल में संलग्न है और मुन्नीलाल के तीनो पुत्र एवं उनकी पत्नी ने लिखित में यह स्वीकार किया कि उक्त भूमि एवं भवन पारिवारिक बंटवाडें में अप्रार्थी संख्या 1 रतनलाल सौलकी को प्राप्त हुआ। जैर आराजी पर पट्टे पर पट्टा की स्थिति तब पैदा होती जब अप्रार्थी के नाम से एक पट्टा पहले से हो और दूसरा पट्टा अप्रार्थी ने और प्राप्त कर लिया हो। विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थी रत्तनलाल के नाम से मात्र एक ही पट्टा जारी हुआ है। अप्रार्थी को पट्टा जारी होने से किसी भी तृतीय पक्षकार के हित प्रभावित नहीं हुये है। अप्रार्थी को जैर निगरानी पट्टा जारी होने से उक्त भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा संख्या 3 एवं पट्टा संख्या 23, जो कि सोहनलाल के नाम से जारी हुए थे, स्वतः ही शून्य हो चुके है। ग्राम पंचायत ने भूमि निरीक्षण कर, आपत्ति नोटिस जारी कर पंचायतीराज में विहित प्रावधानों की पालना करते हुये नियम 157 के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो विधिनुसार है। इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जैर निगरानी याचिका को खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत जवाली द्वारा मिसल संख्या 11/2002-03, प्रस्ताव/संकल्प संख्या 3(33) दिनांक 05.09.2003 द्वारा अप्रार्थी रतनलाल पुत्र मुन्नीलाल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 6174 के विरुद्ध पेश की है। दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि स्व. मुन्नीलाल ने जैर आराजी का बंटवाडा अप्रार्थी के पक्ष में कर दिया इसलिये जैर निगरानी में प्रार्थी हितबद्ध पक्षकार नहीं है, जिसके सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रार्थी ने उज्र किया कि जैर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

निगरानी आराजी प्रार्थी के दादाजी की सम्पति है जो कि पुश्तैनी है, इसलिये प्रार्थी हितबद्ध पक्षकार है साथ ही धारा 97 के तहत स्वप्रेरणा से भी निगरानी पेश की जा सकती है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 में यह स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्व व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्ही भी कार्यवाहियो के सम्बन्ध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में ऐसी कार्यवाहियो की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और यदि किसी भी मामले में, यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आंदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तदनुसार आदेश पारित कर सकेगी और हस्तगत प्रकरण में उभयपक्ष के कथनानुसार जैर आराजी उभयपक्ष की पुश्तैनी है इसलिये यह स्पष्ट है कि प्रार्थी हितबद्ध पक्षकार है। अतः अधिवक्ता अप्रार्थी का उक्त कथन खारिज किया जाता है।

अधिवक्ता अप्रार्थी का दौराने बहस अन्य कथन यह था कि प्रार्थी ने जैर निगरानी पेश करने से पूर्व पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 109 (क) के तहत 2 माह पूर्व नोटिस देना था, जो कि हस्तगत प्रकरण में नहीं दिया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने इस कथन का विरोध करते हुये उज्र किया कि धारा 109 (क) के तहत किसी वाद या सिविल कार्यवाही में नोटिस दिया जाना आवश्यक, किसी निगरानी में नहीं। इस सम्बन्ध में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 109 के अनुसार पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् के विरूद्ध वाद आदि किसी भी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के निदेश के अधीन कार्य कर रहे किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध उसकी पदीय हैसियत में इस अधिनियम के अधीन की गयी या किये जाने के लिए तात्पर्यित किसी भी बात के लिए कोई भी वाद या अन्य सिविल कार्यवाही के तहत दो माह के नोटिस का प्रावधान है जबकि हस्तगत प्रकरण कोई दावा या सिविल कार्यवाही न होकर एक धारा 97 के तहत निगरानी है, जिसमें नोटिस पेश करने का प्रावधान नहीं है, इसलिये अधिवक्ता अप्रार्थी का उक्त कथन खारिज किया जाता है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा वर्ष 2003 का है और प्रार्थी ने जैर निगरानी लगभग 20 वर्ष बाद प्रस्तुत की है, जो म्याद बाहर होने से जैर निगरानी खारिज योग्य है। अधिवक्ता प्रार्थी के उक्त कथन का विरोध करते हुये उज्र किया कि प्रार्थी को उक्त पट्टे की जानकारी होते ही यह निगरानी पेश की है जो जानकारी में आने से अन्दर म्याद है। इस सम्बन्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 2012 (1) RLW (Raj) 164 Ramesh Chand vs Ram Charan Singh & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1994, धारा 61, 97 – बीस वर्ष बाद विलम्ब से पुनरीक्षण याचिका दायर की – अभिनिर्धारित – धारा 97 सरकार पर पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करती है लेकिन परिसीमा की अवधि निर्धारित नहीं करती फिर भी जिस अवधि के भीतर व्यथित पक्षकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

अधिनियम की धारा 97 के तहत शक्ति का प्रयोग कर सकता है वह युक्तियुक्त होनी चाहिये, जो कि हस्तगत प्रकरण में म्याद के कथन के सम्बन्ध में पूर्णरूपेण चस्पा होती है। हालांकि म्याद किसी भी प्रकरण का एक तकनीकी बिन्दु है, इसलिये हम प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते है। विद्वान वकील के इस तर्क पर आते हुए कि 20 वर्षों के अस्पष्ट विलम्ब के बाद जारी किए गए जैर निगरानी पट्टे को चुनौती देने के लिए दायर याचिका को केवल इसी आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था, यह कहना पर्याप्त है कि किसी वैध अधिकार के बिना प्राप्त आदेश को रद्द करने के लिए सक्षम प्राधिकरण के रास्ते में कोई सीमा नहीं आनी चाहिए। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में निगरानी से सम्बन्धित कोई विशेष समय सीमा या सीमित समय का उल्लेख नहीं है। इसलिये प्रकरण में म्याद कण्डोन करते हुये निगरानी श्रवणार्थ ग्रहण करते है। इसलिये अधिवक्ता अप्रार्थी का म्याद के सम्बन्ध में उज्र खारिज किया जाता है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी आराजी का पूर्व में सोहनलाल पुत्र मुन्नीलाल के पक्ष में पट्टा संख्या 23 मिसल संख्या 3/1984–85 दिनांक 24.07.1984 के द्वारा पट्टा जारी हो रखा है। ग्राम पंचायत ने पूर्व में जारी पट्टे पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया जो खारिज योग्य है। इस सम्बन्ध में अधिवक्ता अप्रार्थी ने भी अपनी लिखित बहस में यह स्वीकार किया कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा संख्या 3 मिसल संख्या 8 वर्ष 1957 एवं पट्टा संख्या 23 दिनांक 24.07.1984 सोहनलाल के पक्ष में जारी हुये थे। इन तथ्यों के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकर्ड के संलग्न अप्रार्थी द्वारा पट्टा बनाने हेतु जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, उनमें यह स्पष्टतः अंकित है कि जैर निगरानी आराजी का पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा सोहनलाल के पक्ष में पट्टा बना हुआ है, जिसकी मिसल संख्या 3/1984–85 दिनांक 24.07.1984 है। यह तथ्य स्वयं अप्रार्थी की स्वीकारोक्ति है, जिसके पश्चात किसी प्रकार के अतिरिक्त साक्ष्य की भी आवश्यकता नहीं रहती है। जिससे यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने पूर्व में जारी पट्टे की भूमि पर ही जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जब पूर्व में जारी पट्टा प्रभाव में है तो पश्चातवर्ती पट्टा Ab Initio Void होने से भी अपास्त योग्य है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1998 DNJ 560 अनुसार – पंचायत ने प्रार्थी को 1963 में आबादी क्षेत्र में एक भूखण्ड आंवटित किया – पंचायत ने अप्रार्थी सं. 5 को भूखण्ड विक्रय किया और विक्रय की पुष्टि की – विधि अनुसार प्रार्थी का पट्टा निरस्त नहीं किया – पंचायत ने पट्टा निरस्त करने की अधिकारिता न होने से आधार पर आवंटन बहाल रखा – जब तक निरस्त न किया जाये आवंटन प्रभाव में रहता है – अप्रार्थी संख्या 5 के पश्चातवर्ती विक्रय बिना अधिकारिता के है, याचिका निरस्तारित की इसी प्रकार AIR 1998 Raj Page 282 श्रीमती सरोज बनाम ग्राम पंचायत व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "पूर्व में जारी पट्टे के अस्तित्व में रहते उसी भूमि पर दुसरा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता हैं।"

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

जैर निगरानी समस्त याचिकाओं में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 (ख) के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टे जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया है। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उनके साथ किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तुत ही नहीं किया गया। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 21.01.2003, जो कि प्रथम आदेशिका थी, उसमें सचिव को पत्रावली कायम कर नक्शा तैयार करने एवं तीन पंचों को मौका निरीक्षण किये जाने के आदेश जारी किये गये, किन्तु किन तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जायेगा, उन्हे नामित नहीं किया गया। प्रश्नगत भूमि के नक्शे पर न तो नक्शा बनाने वाले के हस्ताक्षर है और न ही सायल के हस्ताक्षर है, साथ ही नक्शा तैयार करने की दिनांक और भूमि के कुल क्षेत्रफल का भी अंकन नहीं है। आवेदक द्वारा नियम 145(3) के तहत स्थल निरीक्षण के व्यय पेटे 25/– रुपये जमा करवाये जाने थे, जो नहीं करवाये गये। इसके पश्चात नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146(3) "क से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु इन प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में आदेशिका दिनांक 30.08.2003 अुनसार "प्रार्थी ने अपनी कब्जा सुद भूमि के सबूतों में गवाह पेश किये जिनके बयान लिये गये परन्तु मिसल में कोई भी बयान संलग्न नहीं है। प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, उस पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है, न ही पंचायत की मोहर है और न ही नोटिस जारी करने की दिनांक अंकित है। साथ ही उसके सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट अंकित नहीं है और न ही किसी गवाह के हस्ताक्षर है। इसके अलावा उक्त आपत्ति इश्तिहार के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त हुई अथवा नहीं ? यदि आपत्ति प्राप्त हुई, तो उक्त आपत्ति का क्या निस्तारण किया गया ? यह कहीं भी स्पष्ट नहीं हैं। इस सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) RLW(RJ) 1091 Dhrampal Singh vs Additional District Collector के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Rules, 1996, Rule 157 read with Rule 146 - Allotment bade by Village Panchayat-Not following the requirements of Rule 157-Additional Collector cancelled the allotment-Held-The village Panchayat had failed to follow the procedure prescribed for allotment or take into consideration the preconditions for invoking Rule 157 of the 1996 Rules. Petition dismissed. इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

145 से 157 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इसके अतिरिक्त मुख्य रूप से जिस भूमि पर उक्त पट्टा जारी किया गया है, उस भूमि पर मिसल संख्या 3/1984–85 के अन्तर्गत सोहनलाल पुत्र मुन्नीलाल के पक्ष में पट्टा संख्या 23 दिनांक 24.07.1984 बना है, जो वर्तमान में प्रभावी है। इस प्रकार प्रकरण में प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में जारी पट्टे के अस्तित्व में रहते जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने के कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत जवाली द्वारा मिसल संख्या 11/2002–03, प्रस्ताव/संकल्प संख्या 3(33) दिनांक 05.09.2003 द्वारा अप्रार्थी रतनलाल पुत्र मुन्नीलाल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 6174 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति ग्राम पंचायत जवाली को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 19/05/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)